14/24

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
पत्रावली में वकीलवादी को प्रतिवादीगणो
की तामिली पेश करने हेतु पर्याप्त
अवसर दिया जा चुका है बार-2
अवसर दिये जाने के बावजूद भी
आज दिनांक तक नोटिस/समन
पेश नही। अतः वकीलवादी के वाद
को आदेश 9 नियम 5 के तहत
खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो।